मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल 462004

क्रमांक एफ 73–909 / 20–3 / 2010 भोपाल, दिनांक: 30/12/10

प्रति,

सचिव,
सी. बी. एस. ई.,
नई दिल्ली

विषयः अशासकीय संस्था सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल, टीएफआरआई कालोनी नीमखेड़ा जबलपुर म.प्र. को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र देने बावत्

महोदय,

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल, टीएफआरआई कालोनी नीमखेड़ा जबलपुर म.प्र., जो द सिस्टर ऑफ स्नेहांजली सोसाइटी जबलपुर द्वारा संचालित है, को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र निम्नलिखित शर्तो पर दिया जाता है ।

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाऐं स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रतिनिधि / अधिकारी को नामांकित किया जाये ।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र–शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे । इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाए ।
3. इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण / जांच करने का अधिकार होगा ।
4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिती में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधी कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगें ।
7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।

Scanned with CamScanner

8. छात्र–छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।

9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।

10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गयी अनुमति प्राप्त वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलु एल.पी.जी. आदि से संचालित नही किया जायेगा ।

11. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता का बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रहण, नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तके भी नही रखी जा सकेगी ।

12. इस सत्र से शिक्षा के अधिकार अधिनियम तथा सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत जन शिक्षा अधिनियम के विविध धाराओ तथा उपबंधों का पालन संबंधित विद्यालय को सुनिश्चित करना होगा ।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73–910/20–3/2010 भोपाल, दिनांक 30/12/10

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर।
3. प्राचार्य अशास. सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल, टीएफआरआई कालोनी नीमखेड़ा जबलपुर, म.प्र.।
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

// आर. ओ. एस. मरावी, //
अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग